15

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002

सेवा में,

1-	कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-2	- अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।	- सदस्य
3-	सचिव (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।	- सदस्य
4-	सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।	- सदस्य
5-	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	- सदस्य
6-	निदेशक पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	- सदस्य
7-	डा० मंगला राय, उप महानिदेशक (क्राप साइंस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।	- सदस्य
8-	श्री शीतल कुमार बैस, माडल डेरी एवं कैटिल ब्रीडिंग फार्म, नारामऊ, जी०टी० रोड, कानपुर ।	- सदस्य
9-	डा० अजय कुमार अवस्थी, 541/4, न्यू रायगंज, सीपरी बाजार, झांसी ।	- सदस्य
10-	श्री हरिगोविन्द कुशवाहा, ग्राम व पोस्ट-टेहरौली, झांसी ।	- सदस्य
11-	श्रीमती संतोष कश्यप, एच-3, शिवलोक कालोनी, हरिद्वार ।	- सदस्य

संख्याः सीएरुयूपी/सी- 22-32/बोर्ड-103 दिनांकः जून 15 , 1997

महोदय,

इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 23-5-1997 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की एक प्रति आपके सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय,

15-6-97

(सुन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

15/6

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 103वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थानः कृषि उत्पादन आयुक्त सभा कक्ष, सचिवालय, लखनऊ । **समयः** पूर्वान्ह 11.30 बजे

तारीखः मई 23, 1997

उपस्थिति :

1– श्री ए0के0 बिट, आई0ए0एस0,	–	कुलपति एवं अध्यक्ष
2– डा0 रमेश यादव, आई0ए0एस0, कृषि सचिव	–	सदस्य
3– श्री सुनील अग्रवाल, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा	–	सदस्य (सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)
4– श्री डी0एन0 तिवारी, विशेष सचिव वित्त	–	सदस्य (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
5– डा0 आर0के0एस0 चौहान, कृषि निदेशक	–	सदस्य
6– डा0 ए0के0 सिंह, निदेशक पशुपालन	–	सदस्य
7– डा0 ए0के0 अवस्थी	–	सदस्य
8– श्री एस0के0 वैस	–	सदस्य
9– श्री हरिगोविन्द कुशवाहा	–	सदस्य
10–श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियन्त्रक	–	सचिव

मद सं0–1: प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 3–1–1997 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्ति का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने गत बैठक दिनांक 3–1–97 की कार्यवाही पर निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये व अन्य बिन्दुओं पर अपना अनुमोदन प्रदान किया –

मद सं0–3: डा0 आर0पी0 सिंह, प्रोफेसर पोल्ट्री साइंस को दिनांक 6–7–96 से 2 वर्ष अथवा इससे पूर्व सेवा निवृत्त की तिथि जो भी पहले हो, के लिये उ0प्र0 सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ।

मद सं0–4: डा0 एम0 शाबिर, आचार्य फार्माकोलाजी, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को स्वास्थ्य मन्त्रालय, कुबैत में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

उपर्युक्त दोनों प्रस्तावों पर प्रबन्ध मण्डल ने यह चिन्ता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय में कई एक महत्वपूर्ण विभागों में शिक्षक/वैज्ञानिक की कमी है, फिर भी विश्वविद्यालय के ही शिक्षक/वैज्ञानिक प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत हैं । अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि जो भी शिक्षक/वैज्ञानिक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा जिन्हें भी प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना हो, उन

---2

विभागों मे कार्यरत शिक्षकों/विज्ञानिकों की संख्या के अनुसार देखा जाय कि विभाग/योजना का कार्य प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से प्रभावित तो नहीं हो रहा है? उक्त के अनुसार आंकलन करने के पश्चात प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद सं0-5: कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में रिक्त पदों पर नियुक्तियां न हो पाने के कारण उत्पन्न समस्या पर विचार ।

आज की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा यह आपत्ति प्रकट की गयी कि प्रबन्ध मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक 3-1-97 में इटावा महाविद्यालय से सम्बन्धित कतिपय पदों पर उन लिफाफों को खोलकर नियुक्तियां कर दी हैं, जिन्हें प्रबन्ध मण्डल ने ही अपनी बैठक दिनांक 26-7-96 में संदिग्ध करार करते हुये निरस्त कर दिया था तथा फिर से विज्ञापन कर नियुक्तियां करने के निर्देश दिये थे। प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 26-7-96 की बैठक में दिये गये आदेशों के तहत इन नियुक्तियों के लिये विज्ञापन भी किया जा चुका था। एक ओर पहले दिनांक 26-7-96 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी, दूसरी ओर निरस्त किये जा चुके लिफाफों को खोलकर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि पूर्व की बैठक दिनांक 3-1-97 में इन नियुक्तियों के अनुमोदन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुये पूर्ण प्रकरण माननीय कुलाधिपति के निर्णयार्थ एक सप्ताह के अंदर भेजा जाय ।

मद सं0-10: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव :

पूरक-1: प्रबन्ध मण्डल की 99वीं बैठक दिनांक 6-12-95 मद सं0 पूरक-1 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की वरिष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति के पुनर्गठित किये जाने के परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करना ।

प्रबन्ध मण्डल ने शिक्षकों/विज्ञानिकों की वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव से गठित कमेटी का अवलोकन किया तथा निर्देश दिये कि अगली बैठक में कमेटी गठन का प्रस्ताव लाया गया।

पूरक-2: सहायक अभियन्ता वर्कशाप तथा इक्सटेंशन वेतनमान रू0 2200-4000 का पद सहायक अभियन्ता विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स वेतनमान रू0 2200-4000 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

पूरक-4: विश्वविद्यालय में सृजित नेमोटोलाजिस्ट के पद को सहायक प्राध्यापक (टिशू कल्चर) के पद में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव ।

उपर्युक्त दोनों प्रस्तावों पर प्रबन्ध मण्डल ने निदेश दिया कि शासन को तुरन्त प्रस्ताव भेजें जायं ।

--3

पूरक–3: डा0 मोती सिंह, सह–प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग को दिनांक 1–5–94 से 31–5–96 तक की अवधि के वेतन भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

चूँकि यह प्रकरण बहुत दिनों से लम्बित है, अतः प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति को अधिकृत किया कि वे इस प्रकरण पर अन्तिम निर्णय ले लें तथा प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में अवगत कराया जाय ।

पूरक–5: विश्वविद्यालय में सृजित आयल केमिस्ट के पद को सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर) के पद में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव ।

शासन को प्रस्ताव भेजने के पूर्व जिस पद को परिवर्तित कराया जाना है, उसे रिव्यू कर लिया जाय ।

पूरक–7: शासनादेश संख्या–840/12–8–400(19)/84 दिनांक 10–9–84 के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड पाये सहायक प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापकों को प्राध्यापक पदनाम दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन प्रदान नहीं किया तथा निर्देश दिये कि पदनाम देने के इस प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जाय । प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों को जो चयन वेतनमान रु0 4500–7300 व 3700–5700 का दिया गया है, उसका भी परीक्षण कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर व फैजाबाद के परिप्रेक्ष्य में करके प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय ।

मद सं0–2: शैक्षिक पदों पर विश्वविद्यालय परिनियम के अध्याय 13(9) के अन्तर्गत प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करने का प्रस्ताव ।

ये पद लगभग 3 वर्ष से अधिक से रिक्त थे । जनवरी में कोई शिक्षण सत्र नहीं चलता है और न ही फसल की बुवाई होती है अर्थात कोई शोध कार्य प्रभावित नहीं होता है । अधिनियम/परिनियम के अध्याय 13 के पैरा 9 में कुलपति को प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में नियुक्ति प्रदान करने का जो विशेषाधिकार दिया गया है, उसे अपरिहार्य कारण होने पर ही किया जाना चाहिये था, उसे इन नियुक्तियों में प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता था ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियुक्ति पत्र के क्रम संख्या 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 13 पर उन पदनामों को विज्ञापित करके नियुक्ति कर दी गयी, जो योजना में सृजित ही नहीं हैं अर्थात गलत पदनाम से नियुक्ति कर दी गयी है । क्रम सं0 4 के पद को सीधी भर्ती से न भरने का शासन का प्रतिबन्ध था फिर भी नियुक्ति कर दी गयी है ।

अतः प्रबन्ध मण्डल ने इन नियुक्तियों पर अपना अनुमोदन नहीं प्रदान किया ।

मद सं0–3: विज्ञापन संख्या–6/96 पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं नियुक्तियों हेतु साक्षात्कार के बन्द लिफाफों एवं की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति द्वारा प्रस्तुत इस प्रकरण को संज्ञान में लिया । विचारोपरान्त निर्देश दिये कि ये नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में दिये गये निर्देश के प्रतिकूल हैं, इन्हें निरस्त किया जाना ही औचित्यपूर्ण होगा । तद्नुसार कुलपति इन नियुक्तियों को निरस्त करने की कार्यवाही करें ।

----4

मद सं0–4: विकास भवन, कानपुर नगर हेतु एक एकड़ अतिरिक्त भूमि हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने एक एकड़ अतिरिक्त भूमि देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं प्रदान की ।

मद सं0–5: कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0–6: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

पूरक–1: सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने के माह में अन्तिम दिनांक को सेवा निवृत्त किया जाना

चूँकि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के परिनियमों में संशोधन किया जा चुका है, अतः प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया व निर्देश दिये कि परिनियमों में संशोधन हेतु माननीय कुलाधिपति को प्रस्ताव भेजा जाय ।

पूरक–2: श्री पी0एन0 द्विवेदी, रिप्रोग्राफिक सहायक को आदेश संख्या–सीएसयूएच–6212/97 दिनांक 13–2–97 द्वारा दी गयी प्रोन्नति की बैधता पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रकरण को संज्ञान में लिया व निर्देश दिये कि कुलपति नियमानुसार नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही करें ।

पूरक–3: कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री चतुर सिंह एवं श्री ज्ञान सिंह का विश्वविद्यालय की सेवा में समायोजन किये जाने के विरुध्द शिकायत पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रकरण को संज्ञान में लिया व निर्देश दिये कि कुलपति नियमानुसार इसे निरस्त करने की कार्यवाही करें ।

बैठक के अन्त में सचिव कृषि ने अपेक्षा की कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को कृषि विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लगाया जाय । गांव–गांव में शिक्षकों/वैज्ञानिकों को भेजकर किसानों को नये–नये शोध कार्यों से अवगत कराया जाय तथा शोध कार्यों को उनके खेतों पर करके दिखाया जाय ।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी ।

अनुमोदित
Arun Bit
तत्कालीन कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

(सुन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल